



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022026-269765
CG-DL-E-02022026-269765

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23।

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947

No. 23।

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

प्रारंभिक जाँच परिणाम

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2026

केस संख्या AD (OI) – 22/2025

विषय: चीन जनवादी गणराज्य एवं थाईलैंड किंगडम के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित “एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड” के आयात से संबंधित पाटनरोधी शुल्क जाँच

फा. सं. 6/25/2025-डीजीटीआर — समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ‘अधिनियम’ कहा गया है) तथा समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995, (जिसे आगे ‘नियमावली’ या ‘पाटनरोधी नियमावली, 1995’ कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. यतः, मेसर्स लुपिन लिमिटेड (जिसे आगे ‘आवेदक’ कहा गया है) ने अधिनियम एवं पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे ‘प्राधिकारी’ भी कहा गया है) के समक्ष, “एथाम्बुटोल

हाइड्रोक्लोराइड” (जिसे आगे ‘विचाराधीन उत्पाद’ या ‘पीयूसी’ या ‘संबद्ध वस्तु’ कहा गया है) के चीन जनवादी गणराज्य (“चीन”) एवं थाईलैंड किंगडम (“थाईलैंड”) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरूआत करने के लिए एक आवेदन दायर किया।

2. और यतः, आवेदक द्वारा दायर विधिवत रूप से साक्षात्कृत आवेदन को देखते हुए, प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 6/25/2025-डीजीटीआर दिनांक 23 सितंबर 2025 के माध्यम से, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, संबद्ध देशों से पीयूसी के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरूआत की, ताकि संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण किया जा सके तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए, तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. इस जाँच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार, जाँच की शुरूआत करने से पहले भारत में स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के संबंध में सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने दिनांक 23 सितंबर 2025 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया, जिसके द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरूआत की गई।

ग. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों की सरकारों को, भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों एवं निर्यातिकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, जाँच शुरूआत अधिसूचना की प्रति भेजी तथा उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातिकों तथा संबद्ध देशों की सरकारों को, भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से, आवेदन की अगोपनीय प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन की अगोपनीय प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी, अनुरोध करने पर प्रदान की गई।

इ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, संगत जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातिकों को निर्यातिक प्रश्नावली भेजी:

- i. कॉन्शिएंटिया इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- ii. वुहान वुयाओ फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, चीन जन. गण.
- iii. आन्हुई बेकर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- iv. शेनयांग होंगची फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- v. गुआंगज़ोउ फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, चीन जन. गण.
- vi. लिनेरिया केमिकल्स (थाईलैंड) लिमिटेड, थाईलैंड

च. भारत में स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने देशों के निर्यातिकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

छ. जाँच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति तथा आवेदन की अगोपनीय प्रति रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औपधिक विभाग को भेजी गई। तथापि, प्राधिकारी को कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

ज. इसके उत्तर में, संबद्ध देशों से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातिकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया:

- i. वुहान वुयाओ फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, चीन जन. गण.
- ii. मेसर्स साइनोब्राइट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, चीन जन. गण.
- iii. मेसर्स ब्रिलियंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, चीन जन. गण.

झ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी:

- i. अनुह फार्मा लिमिटेड
- ii. एक्ट्राटिक रेमेडीज़ लिमिटेड
- iii. कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
- iv. इमेक्स ओवरसीज़
- v. मैक्सिल्योइंस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
- vi. अल्फा केमिका
- vii. स्ट्राइड्स फार्मा साइंस लिमिटेड
- viii. हेल्दी लाइफ फार्मा प्रा. लिमिटेड
- ix. केमिकल बुल प्रा. लिमिटेड
- x. जोशी एग्रोकेम फार्मा प्रा. लिमिटेड
- xi. गोदावरी ड्रग्स लिमिटेड
- xii. सेंचुरियन हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड
- xiii. निक्सन फार्मास्यूटिकल्स
- xiv. केमकोपिया इंग्रीडिएंट्स प्रा. लिमिटेड

ज. इसके उत्तर में, किसी भी आयातक/प्रयोक्ता द्वारा प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए गए।

ट. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों की अगोपनीय प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई तथा सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों की अगोपनीय प्रति अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल के माध्यम से भेज दें।

ठ. डीजीसीआई एंड एस तथा डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि एवं जाँच अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का सौदा-वार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। प्राधिकारी ने सौदों की समुचित जाँच के पश्चात आयात मात्रा की गणना एवं आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों पर भरोसा किया है।

ड. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जाँच वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा जाँच अवधि को सम्मिलित करते हुए की गई है।

ढ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। संतुष्ट होने पर, जहाँ आवश्यक पाया गया, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया तथा ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया। जहाँ संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय रूप से प्रस्तुत की गई सूचना की पर्याप्त अगोपनीय प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

ण. जहाँ किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जाँच के दौरान आवश्यक जानकारी देने से इनकार किया, अथवा अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की, या जाँच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न की, वहाँ ऐसे पक्षकारों को प्राधिकारी द्वारा असहयोगी माना गया तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने विचार/अवलोकन दर्ज किए गए।

त. प्राधिकारी ने दिनांक 1 अक्टूबर 2025 के सूचना पत्र के माध्यम से ज्ञात निर्यातकों/आयातकों आदि को पीयूसी के दायरे तथा पीसीएन पद्धति के संबंध में 15 दिनों के भीतर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। किसी भी हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, अतः प्राधिकारी ने 29 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से, जाँच शुरूआत अधिसूचना में यथा परिभाषित पीयूसी एवं पीसीएन के अंतिम दायरे को अधिसूचित किया।

थ. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के परिशिष्ट-III के अनुसार, भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की इष्टतम लागत

तथा निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया गया है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

द. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए समस्त तर्कों तथा प्रदान की गई जानकारी पर उनके साक्ष्यों द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जाँच के लिए संगत होने की सीमा तक विचार किया है। प्राधिकारी प्रारंभिक जाँच परिणाम के पश्चात हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे साक्ष्यात्मक दस्तावेजों की आगे जाँच करेंगे, जो अंतिम जाँच परिणाम के समय जाँच परिणाम का आधार बनेंगे।

ध. इस दस्तावेज में ‘***’ चिह्न हितबद्ध पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी को दर्शाता है, जिसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना गया है।

न. संबद्ध जाँच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 85.45 रुपये है।

ग. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

4. पीयूसी के दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

5. पीयूसी के दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड एक बैक्टीरियोस्टैटिक औषधि है, जिसका आणविक सूत्र $C_{10}H_{24}N_2O_2.2HCl$ है।

ख. यह एथाम्बुटोल से निर्मित एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है, जो एक निवल यौगिक (फ्री बेस) है। एथाम्बुटोल एक तैलीय द्रव के रूप में विद्यमान होता है, जिसकी जल में घुलनशीलता कम तथा स्थिरता सीमित होती है। इसे टैबलेट एवं अन्य डोजेज रूपों में उपयोग के योग्य बनाने के लिए इसे इसके लवण रूप, जिसे एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड (एचसीएल) कहा जाता है, में परिवर्तित किया जाता है।

ग. एथाम्बुटोल (फ्री बेस) का कोई स्वतंत्र चिकित्सीय उपयोग नहीं है और इसे सीधे फॉर्मूलेशनों में उपयोग नहीं किया जाता। इसका उपयोग केवल इसके हाइड्रोक्लोराइड लवण रूप — एथाम्बुटोल एचसीएल — में परिवर्तित करने के पश्चात ही किया जाता है। तदनुसार, एथाम्बुटोल (बेस) और एथाम्बुटोल एचसीएल दोनों का अंतिम उपयोग अर्थात् औषधीय पदार्थ के रूप में, समान है,। अतः आवेदक ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि एथाम्बुटोल के दोनों रूपों को पीयूसी का भाग माना जाए।

घ. एथाम्बुटोल का आयात एचएस कोड 2905 14 10 तथा 2905 14 90 के अंतर्गत किया जाता है। आवेदक ने आयात आँकड़ों की जाँच के लिए दोनों टैरिफ शीर्षों के लिए डीजीसीआई एंड एस से आँकड़े मंगाने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी की संगत प्रथा के अनुरूप, आवेदक ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि उपर्युक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण को केवल संकेतात्मक माना जाए तथा इसे वर्तमान जाँच के दायरे पर बाध्यकारी न माना जाए।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

6. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद “एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड” है, जो एक बैक्टीरियोस्टैटिक औषधि है, जिसका आणविक सूत्र $C_{10}H_{24}N_2O_2.2HCl$ है। यह एथाम्बुटोल से निर्मित एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है, जो एक निवल यौगिक (फ्री बेस) है। एथाम्बुटोल एक तैलीय द्रव के रूप में विद्यमान होता है, जिसकी जल में घुलनशीलता कम तथा स्थिरता सीमित होती है। इसे टैबलेट एवं अन्य डोजेज रूपों में उपयोग के योग्य बनाने के लिए इसे इसके लवण रूप, जिसे एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड (एचसीएल) कहा जाता है, में परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान जाँच का उद्देश्य भारत में आयात किए जाने पर विचाराधीन उत्पाद के दोनों रूपों को सम्मिलित करना है।

7. पीयूसी को अध्याय 29, जिसका शीर्षक “कार्बनिक रसायन” है, के अंतर्गत एचएस कोड 2905 14 10 में वर्गीकृत किया गया है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तु का आयात 2905 14 90 के अंतर्गत भी किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक है तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन में किसी भी पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया गया था। दिनांक 23.09.2025 की जाँच शुरूआत अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से पीयूसी के दायरे तथा पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की थीं। यह नोट किया गया है कि किसी भी हितबद्ध पक्ष द्वारा पीयूसी के दायरे के संबंध में अथवा किसी पीसीएन पद्धति को अपनाने के संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई। तदनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 29.10.2025 की अधिसूचना के माध्यम से यह सूचित किया कि पीयूसी के दायरे अथवा पीसीएन पद्धति के संबंध में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है तथा प्राधिकारी ने जाँच शुरूआत अधिसूचना संख्या 6/25/2025-डीजीटीआर दिनांक 23.09.2025 में अधिसूचित पीयूसी के उसी दायरे के साथ आगे की कार्यवाही की है।

9. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद तथा संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद तथा संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ये दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से परस्पर प्रतिस्थापनीय हैं।

10. अतः, प्राधिकारी अनन्तिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु, संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के लिए नियमावली 2(घ) के अंतर्गत यथा परिभाषित “समान वस्तु” हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी अनन्तिम रूप से यह निर्धारित करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद वही है जैसा कि दिनांक 23.09.2025 की जाँच शुरूआत अधिसूचना में परिभाषित किया गया था, और वह निम्नानुसार है:

“वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद ‘एथाम्बुटॉल हाइड्रोक्लोराइड’ है, जो आणविक सूत्र $C_{10}H_{24}N_2O_2.2HCl$ वाला एक बैक्टीरियोस्टैटिक औषधि है।

यह एथाम्बुटॉल से निर्मित एक श्वेत स्फटिकीय पाउडर है, जो एक निवल यौगिक (फ्री बेस) है। एथाम्बुटॉल एक तैलीय द्रव के रूप में विद्यमान होता है जिसकी जल में घुलनशीलता कम होती है तथा स्थिरता सीमित होती है। इसे टैबलेट एवं अन्य डोज़ेज़ फॉर्म में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए इसके लवण रूप, अर्थात् एथाम्बुटॉल हाइड्रोक्लोराइड (एचसीएल), में परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान जाँच का उद्देश्य इसके भारत में आयात के समय, इसके दोनों रूपों में आयातित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत शामिल करना है।”

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

11. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के दायरे के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

12. अन्य घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. लुपिन लिमिटेड के अतिरिक्त, एक अन्य घरेलू विनिर्माता कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड है, जो संबद्ध वस्तु का विनिर्माण करता है।

ख. कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड संबद्ध वस्तु का आयातक भी है।

ग. थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड पूर्व में संबद्ध वस्तु का विनिर्माण करता था, तथापि उसने संबद्ध वस्तु का उत्पादन बंद कर दिया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

13. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग की परिभाषा निम्नानुसार दी गई है:

“(ख) ‘घरेलू उद्योग’ से अभिप्राय उन घरेलू उत्पादकों से हैं जो समान वस्तु के विनिर्माण में संलग्न हैं तथा उससे संबंधित किसी भी गतिविधि में संलग्न हैं, या ऐसे उत्पादक जिनका सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनाता है; परंतु यह तब लागू नहीं होगा जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित की गई वस्तु के नियातिकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं आयातक हों। ऐसे मामलों में ‘घरेलू उद्योग’ शब्द का आशय शेष उत्पादकों से लगाया जाएगा।”

14. आवेदक ने दावा किया है कि लुपिन लिमिटेड के अतिरिक्त एक अन्य उत्पादक, अर्थात् कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, संबद्ध वस्तु का उत्पादन करता है। थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड पूर्व में संबद्ध वस्तु का विनिर्माण करता था, परंतु उसने संबद्ध वस्तु का उत्पादन बंद कर दिया है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड संबद्ध वस्तु का आयातक भी है।

15. आवेदक के दावे का सत्यापन डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों से किया गया, जिससे यह पाया गया कि कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु का *** मीट्रिक टन आयात किया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने दिनांक 22 अगस्त 2025 के ई-मेल के माध्यम से कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड से संबद्ध वस्तु के निर्माण से संबंधित जानकारी, जैसे—विनिर्माण क्षमता, उत्पादन मात्रा, घरेलू बिक्री, तथा पीयूसी का आयात, यदि कोई हो, तो स्पष्ट करने एवं प्रदान करने के लिए कहा था। तथापि, दोनों कंपनियों से आज की तारीख तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

16. रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लुपिन लिमिटेड ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, यह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी भी नियातिक या भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदक का देश में कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। अतः, आवेदक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत परिभाषित घरेलू उद्योग का गठन करता है तथा आवेदन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियमावली 5(3) के अंतर्गत स्थिति संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

17. गोपनीयता के दावों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. साइनोब्राइट फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का भारत में कोई कार्यालय नहीं है; नई दिल्ली और मुंबई में कार्यालय होने से संबंधित वेबसाइट जानकारी मात्र एक विपणन रणनीति है। वास्तव में, वेबसाइट पर नई दिल्ली और मुंबई शीर्षक के अंतर्गत कोई पता उल्लिखित नहीं है।
- ख. अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में, नियातिक प्रश्नावली का उत्तर व्यापार सूचना संख्या 06/2021 दिनांक 29 जुलाई 2021 के आधार पर दायर किया गया है। जहाँ भी गोपनीयता का दावा किया गया है, वहाँ-वहाँ उसके कारण विधिवत रूप से दर्ज किए गए हैं।
- ग. ब्रिलिएंट फार्मास्युटिकल लिमिटेड का निगमन 2022 में हुआ था तथा परिशिष्ट-1 में आधार वर्ष के रूप में कैलेंडर वर्ष 2022 के आंकड़े दर्शाये गये हैं, क्योंकि नियातिक का वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर है। 2022 और 2023 में कंपनी ने न तो भारत को और न ही किसी अन्य देश को पीयूसी का नियात किया।
- घ. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका व्यापार सूचना संख्या 05/2021 दिनांक 29 जुलाई 2021 के अनुरूप नहीं है।
- ङ. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग ने पीयूसी के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख कड़ी सामग्री, घरेलू उद्योग को छोड़कर अन्य सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा एवं मूल्य, याचिका में देश-वार सामान्य मूल्य के अनुमान, अनुसंधान एवं विकास व्यय, जुटाई गई निधियाँ, नियात के लिए

प्रति इकाई बिक्री लागत, तथा औसत उद्योग मानक के रूप में औसत पूँजी नियोजित पर पीबीआईटी के प्रतिशत आदि से संबंधित जानकारी का प्रकटन नहीं किया है।

इ.2 घरेलू उद्योग के विचार

18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता दावों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. भागीदार उत्पादक/नियांतकों ने अपने प्रश्नावली उत्तरों में पर्यास औचित्य प्रदान किए बिना अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ख. ब्रिलिएंट फ़ार्मास्युटिकल लिमिटेड का प्रश्नावली उत्तर असंगत है, क्योंकि उसने 2021-22 में उत्पादों के लिए कारोबार दर्शाया है, जबकि वह 2022 से ही परिचालन प्रारंभ होने का दावा करता है।
- ग. वुहान वूयाओ ने चरण-वार उत्पादन प्रक्रिया का व्यापक विवरण प्रदान नहीं किया है। पाटन मार्जिन की गणना पर सार्थक टिप्पणियाँ करने के लिए उत्पादन प्रक्रियाओं का सामान्य विवरण आवश्यक है।
- घ. वुहान वूयाओ ने अपने संबंधित पक्षकारों के नाम को पूर्णतः गोपनीय बताया है और इसके अभाव में लुपिन लिमिटेड यह टिप्पणी नहीं कर पा रहा है कि क्या कोई अन्य संबंधित कंपनी पीयूसी के उत्पादन या बिक्री में संलग्न है।
- इ. साइनोब्राइट फ़ार्मास्युटिकल्स का यह तर्क कि उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर भारत में कार्यालयों के संदर्भ मात्र विपणन रणनीति हैं, असंगत है तथा यह इसके अपने सार्वजनिक प्रकटन एवं आचरण से प्रत्यक्ष रूप से विरोधाभासी है।
- च. साइनोब्राइट की आधिकारिक वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से “2006 – भारत में कार्यालय की स्थापना” को एक कॉर्पोरेट उपलब्धि के रूप में दर्ज किया गया है तथा भारत कार्यालय (मुंबई) और भारत कार्यालय (नई दिल्ली) को पृथक कार्यालयों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से यह भी ज्ञात होता है कि विदेशी उत्पादक के कई कर्मचारी स्वयं को इसके भारत परिचालन का हिस्सा बताते हैं और मुंबई, ठाणे, हैदराबाद एवं दिल्ली में वरिष्ठ एवं परिचालन भूमिकाओं—जैसे भारत परिचालन, बिक्री एवं विपणन (ऑन-साइट), व्यवसाय विकास तथा वेयरहाउसिंग—में कार्यरत हैं।
- छ. इन भूमिकाओं की प्रकृति, संख्या तथा भौगोलिक विस्तार भारत में एक संरचित एवं सतत व्यावसायिक उपस्थिति को दर्शाते हैं, जो साइनोब्राइट के इस दावे के विपरीत है कि उसका भारत में कोई कार्यालय या प्रतिष्ठान नहीं है। घरेलू उद्योग यह अनुरोध करता है कि साइनोब्राइट द्वारा भारत में परिचालन से इनकार विश्वसनीय नहीं है तथा इस पहलू पर उसके अनुरोधों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, इस निरंतर इनकार एवं भारतीय कार्यालयों के प्रकटन में विफलता को देखते हुए, प्राधिकारी को साइनोब्राइट के प्रत्युत्तर को संपूर्ण रूप से अस्वीकार कर देना चाहिए।
- ज. यह अनुरोध किया गया है कि वर्तमान लागत प्रारूपों में, जैसा कि व्यापार सूचना 05/2021 के अंतर्गत निर्दिष्ट है, घरेलू उद्योग को अन्य घरेलू उद्योगों द्वारा उत्पादन के मूल्य से संबंधित जानकारी प्रदान करना आवश्यक नहीं है।
- झ. घरेलू उद्योग की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, भारत में लुपिन लिमिटेड के अतिरिक्त कोई अन्य पात्र घरेलू उत्पादक नहीं है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका के अगोपनीय अंश में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। अतः, घरेलू उद्योग के अतिरिक्त अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा एवं मूल्य से संबंधित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता लागू नहीं होती है।
- ज. इसी प्रकार, व्यापार सूचना 05/2021 घरेलू उद्योग से निधि जुटाने, नियांत के लिए प्रति इकाई बिक्री लागत, अनुसंधान एवं विकास व्यय तथा औसत नियोजित पूँजी पर पीबीआईटी के प्रतिशत के रूप में औसत उद्योग मानक से संबंधित जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा नहीं करती है। अतः, उक्त सूचनाओं का प्रकटन आवश्यक नहीं है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि देश-वार सामान्य मूल्य के अनुमानों की

श्रेणी अगोपनीय आवेदन के पृष्ठ 72 पर प्रदर्श-III में विधिवत रूप से प्रदान की गई है। कच्ची सामग्री के नाम भी आवेदन के पृष्ठ 53 पर प्रकट किए गए हैं।

इ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

19. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:

(1) नियमावली 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) तथा नियम 17 के उप-नियम (4) में निहित किसी भी बात के बावजूद, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां, अथवा जाँच के दौरान किसी पक्ष द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर प्रदान की गई कोई अन्य सूचना, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट हो, तो उसे गोपनीय माना जाएगा और ऐसी किसी भी सूचना को उसे प्रदान करने वाले पक्ष की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी अन्य पक्ष को प्रकट नहीं किया जाएगा।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों से उसका अगोपनीय सार प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की राय में वह सूचना सारांश योग्य नहीं है, तो ऐसा पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह बताते हुए कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश बनाना क्यों संभव नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या सूचना प्रदाता या तो सूचना को सार्वजनिक करने या उसे सामान्यीकृत अथवा सार रूप में प्रकट करने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

20. हितबद्ध पक्षकारों ने अपने अनुरोधों में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता दावों से संबंधित मुद्दे उठाए हैं। गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संदर्भ में जाँच की गई। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश उपलब्ध कराए, जिसके लिए हितबद्ध पक्षकारों से उनके अनुरोधों के अगोपनीय संस्करणों का आदान-प्रदान करने का अनुरोध किया गया। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय रूप से दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां उपयुक्त पाया, गोपनीयता दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। भारत में सिनोब्राइट फार्मस्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की संबंधित कंपनी की उपस्थिति के संबंध में, इस संबद्ध में और अधिक जाँच की आवश्यकता है। प्राधिकारी इस मुद्दे की जाँच आगे की जाँच प्रक्रिया के दौरान करेंगे और अंतिम जाँच परिणाम में इस संबंध में निर्णय लेंगे।

च. विविध अनुरोध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

22. घरेलू उद्योग द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

23. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. 11 दिसंबर, 2016 को विश्व व्यापार संगठन में चीन जन. गण. के एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(ii) की अवधि समाप्त होने का अर्थ यह है कि भारत, एक डब्ल्यूटीओ सदस्य के रूप में, चीन के विरुद्ध सभी पाटनरोधी जांचों में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति के उपयोग को समाप्त करने के लिए बाध्य है।

ख. 11 दिसंबर, 2016 के बाद, भारत के पास डब्ल्यूटीओ करारों के अंतर्गत सामान्य मूल्य की गणना गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति का उपयोग करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। भारत द्वारा ऐसा कोई भी कदम, शुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार (पाटनरोधी करार) तथा अन्य शामिल करारों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगा।

ग. हमारा मानना है कि डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुरूप पाटन मार्जिन की गणना करने के लिए आवश्यक सूचना एकत्र करना जांच प्राधिकारी के रूप में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का दायित्व है।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

24. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. अधिनियम की धारा 9क सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए तीन पद्धतियाँ प्रदान करती हैं:

(i) प्रथम, व्यापार के सामान्य क्रम में तुलनीय कीमत, जब समान वस्तु को निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए भेजा जाता है, अर्थात संबद्ध वस्तु का संबद्ध देश में विक्री कीमत।

(ii) द्वितीय, संबद्ध देश से किसी उपयुक्त तीसरे देश को संबद्ध वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि निर्यात कीमत; या

(iii) अंततः, मूलता के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत, जिसमें प्रशासनिक, विक्री एवं सामान्य व्यय तथा लाभ के लिए युक्तिसंगत वृद्धि जोड़ी जाए।

ख. घरेलू उद्योग ने थाईलैंड में संबद्ध वस्तुओं की प्रचलित कीमत के साथ-साथ संबद्ध देश से तीसरे देश के बाज़ारों में संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का विवरण प्राप्त करने का प्रयास किया। तथापि, घरेलू उद्योग ऐसे कीमतों को निर्धारित करने के लिए किसी भी विश्वसनीय सूचना स्रोत को खोजने में असमर्थ रहा।

ग. घरेलू उद्योग यह प्रस्ताव करता है कि चीन को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था देश माना जाए और तदनुसार प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाए।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

25. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादक-निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

- वुहान वुयाओ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी लिमिटेड
- मैसर्स सिनोब्राइट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- मैसर्स ब्रिलिएंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड

छ.3.1 सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत का निर्धारण

क) चीन से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

26. विश्व व्यापार संगठन में चीन के प्रवेश प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

“टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार (पाटनरोधी करार) तथा सब्सिडी और प्रतिपूरक उपाय करार, डब्ल्यूटीओ सदस्य द्वारा चीनी मूल के आयात से संबंधित कार्यवाहियों में निम्नलिखित के अनुरूप लागू होंगे।

(क) टैरिफ एवं व्यापार पर सामान्य करार, 1994 के अनुच्छेद VI तथा पाटनरोधी करार के अंतर्गत मूल्य तुलनीयता के निर्धारण में, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों या लागत का उपयोग करेगा अथवा ऐसी पद्धति का उपयोग करेगा जो चीन में निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या लागतों की सख्त तुलना पर आधारित न हो:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं कि समान उत्पाद के निर्माण, उत्पादन तथा बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां विद्यमान हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य कीमत तुलनीयता के निर्धारण के लिए चीन में कीमत या लागत का उपयोग करेगा;

(ii) यदि जांचाधीन उत्पादक यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं कि समान उत्पाद के निर्माण, उत्पादन तथा बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां विद्यमान हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों की सख्त तुलना पर आधारित न हो।

(ख) सब्सिडी और प्रतिपूरक उपाय करार के भाग II, III तथा V के अंतर्गत कार्यवाहियों में, जब अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में वर्णित सब्सिडियों पर विचार किया जा रहा हो, तो उक्त करार के संगत प्रावधान लागू होंगे; तथापि, यदि उनके अनुप्रयोग में विशेष कठिनाइयां हों, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान एवं मापन के लिए ऐसी कार्यप्रणालियों का उपयोग कर सकता है, जो इस संभावना को ध्यान में रखें कि चीन में प्रचलित शर्तें और परिस्थितियां सदैव उपयुक्त मानक के रूप में उपलब्ध न हों।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त कार्यप्रणालियों की सूचना पाटनरोधी प्रथाओं की समिति को तथा उप-पैरा (ख) के अनुसार प्रयुक्त कार्यप्रणालियों की सूचना सब्सिडी और प्रतिपूरक उपायों की समिति को देगा।

(घ) एक बार जब चीन आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत यह स्थापित कर देता है कि वह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप-पैरा (क) के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते कि आयातक सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्रवेश की तिथि तक बाजार अर्थव्यवस्था के मानदंड विद्यमान हों। किसी भी स्थिति में, उप-पैरा (क)(ii) के प्रावधान प्रवेश की तारीख के 15 वर्ष पश्चात समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि चीन यह स्थापित करता है कि किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां विद्यमान हैं, तो गैर-बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रावधान उस उद्योग या क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।”

27. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबंधित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित ढंग और तरीके में, निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई।

28. घरेलू उद्योग ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के परिशिष्ट-I के पैरा 7 पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग का यह दावा है कि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि समान उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां विद्यमान हैं। यह भी कहा गया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार-आधारित है, तो सामान्य मूल्य की गणना परिशिष्ट-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार की जानी चाहिए।

29. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) का प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो चुका है, तथापि विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 को चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के साथ पढ़ने पर यह अपेक्षा करता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंडों की पूर्ति बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली के माध्यम से प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों द्वारा की जाए। यह भी नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जनवादी गणराज्य से प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य की गणना पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार की जानी आवश्यक है।

30. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में किसी भी सहभागी उत्पादक/निर्यातक ने बाज़ार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है:

“7. गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था देशों से आयात के मामलों में, सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत या परिकलित कीमत के आधार पर, अथवा ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों (जिसमें भारत भी शामिल है) को निर्यात कीमत के आधार पर किया जाएगा, या जहां यह संभव न हो, वहां किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर, जिसमें भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत शामिल है, जिसे आवश्यकता अनुसार युक्तिसंगत लाभ मार्जिन जोड़कर समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबंधित देश के विकास स्तर और संबंधित उत्पाद को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत रूप से किया जाएगा तथा चयन के समय उपलब्ध किसी भी विश्वसनीय सूचना पर विधिवत विचार किया जाएगा। जांच के पक्षकारों को ऐसे चयन की सूचना बिना अनुचित विलंब के दी जाएगी और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए युक्तिसंगत समय प्रदान किया जाएगा।”

31. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पैरा 7 गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए एक श्रेणीक्रम निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य को बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित कीमत या ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को कीमत या जहाँ ऐसा संभव न हो वहां समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत, जिसे तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए यथा आवश्यक समायोजित किया गया हो, सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर निर्धारित किया जाएगा। वर्तमान जांच में, किसी भी हितवद्ध पक्षकार द्वारा किसी बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत या परिकलित कीमत का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच में संबद्ध देशों के अतिरिक्त अन्य किसी देश से भारत में संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं हुआ है। अतः बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत में आयात को भी सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

32. अतः प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का अनंतिम निर्धारण अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार “भारत में देय कीमत” के आधार पर किया है। इसकी गणना घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा युक्तिसंगत लाभ जोड़कर की गई है। इस प्रकार अनंतिम रूप से निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ख) चीन से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

वुहान वूयाओ फ़ार्मास्यूटिकल्स कंपनी लिमिटेड (“वूयाओ”) के मामले में निर्यात कीमत

33. वूयाओ विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक है और उसने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद के [***] मीट्रिक टन निर्यात की सूचना दी है। वूयाओ ने संबद्ध वस्तुओं का भारत में प्रत्यक्ष रूप से निर्यात नहीं किया है, बल्कि असंबद्ध व्यापारियों अर्थात् एम/एस-साइनोब्राइट फ़ार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड तथा एम/एस-ब्रिलिएंट फ़ार्मास्यूटिकल लिमिटेड के माध्यम से निर्यात किया है।

34. वूयाओ ने संबद्ध वस्तुओं का [***] मीट्रिक टन भारत में निम्नलिखित माध्यमों से निर्यात किया है:

वूयाओ → मैसर्स साइनोब्राइट फ़ार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक, मात्रा [***]मीट्रिक टन।

वूयाओ → मैसर्स साइनोब्राइट फ़ार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड → एम/एस-ब्रिलिएंट फ़ार्मास्यूटिकल लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक, मात्रा [***]मीट्रिक टन।

35. उत्पादक/निर्यातक ने आंतरिक परिवहन तथा ऋण लागत के आधार पर निर्यात कीमत में समायोजन का दावा किया है। असंबद्ध व्यापारियों ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह तथा संबंधित व्यय, बैंक शुल्क, कमीशन तथा ऋण लागत के आधार पर समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने इस स्तर पर वूयाओ और उसके असंबद्ध व्यापारी द्वारा किए गए दावों को प्रारंभिक आधार पर स्वीकार किया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत

36. चीन से अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

ग). थाईलैंड से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

37. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में थाईलैंड से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है। तदनुसार, थाईलैंड से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित अनंतिम सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

घ). थाईलैंड से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

38. थाईलैंड से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

जी3.3. पाटन मार्जिन

39. वर्तमान जांच में अनंतिम रूप से निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन निम्नानुसार हैं:

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक	सामान्य मूल्य (अम.डा./ मी.टन)	निर्यात कीमत (अम.डा./ मी.टन)	पाटन मार्जिन (अम.डा./ मी.टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
चीन					
वुहान व्याओ फार्मास्युटिकल कं. लि.	***	***	***	***	20-30
limited					
अन्य	***	***	***	***	25-35
थाईलैंड					
अन्य	***	***	***	***	15-25

ज. क्षति का आकलन एवं कारणात्मक संबंध

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

40. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में कोई भी अनुरोध नहीं किया गया है।

ज.2 घरेलू उद्योग के विचार

41. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- आधार वर्ष की तुलना में, जांच अवधि के दौरान आयात की मात्रा में लगभग 600 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि भारतीय मांग में केवल लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2023-24 की तुलना में, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात 3025 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है।
- भारतीय उत्पादन क्षमता संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होने के बावजूद आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अतः आयात पूरी तरह से मांग-आपूर्ति अंतर से अधिक है।

घ. यद्यपि घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के साथ जांच अवधि में अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम रहा, तथापि आयात की मात्रा में वृद्धि, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री से कहीं अधिक रही, जबकि घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता उपलब्ध थी।

ङ. जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक तथा काफी अधिक रही है।

च. संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने आवेदक कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण किया है।

छ. आधार वर्ष में घरेलू उद्योग की बाज़ार हिस्सेदारी लगभग *** प्रतिशत थी, जो जांच अवधि में घटकर *** प्रतिशत रह गई। इसी अवधि में आयात की बाज़ार हिस्सेदारी आधार वर्ष के *** प्रतिशत की तुलना में बढ़कर जांच अवधि में *** प्रतिशत हो गई। संबद्ध देशों के नियांतकों की आक्रामक नियांत कीमत नीति के कारण घरेलू उद्योग की लगभग *** प्रतिशत उत्पादन क्षमता निष्क्रिय पड़ी हुई है।

ज. यद्यपि प्रस्तावित जांच अवधि में मांग में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग का उत्पादन एवं क्षमता उपयोग बेहतर हुआ है, तथापि घरेलू उद्योग की मुक्त बाज़ार बिक्री में वृद्धि, संबद्ध देशों से आयात की वृद्धि की तुलना में काफी कम रही है।

झ. आधार वर्ष और जांच अवधि के बीच मांग में लगभग *** प्रतिशत की वृद्धि होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की मुक्त बाज़ार बिक्री आधार वर्ष के स्तर से काफी नीचे बनी हुई है।

ज. मांग में वृद्धि के कारण उत्पादन बढ़ने से जांच अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादकता में सुधार हुआ है।

ट. संबद्ध देशों से पाटन के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पूर्णतः समाप्त हो गई है और वर्तमान में उसे घाटा हो रहा है, जिससे निरंतर प्रचालन अस्थिर हो गया है।

ठ. वित्तीय वर्ष 2023-24 से घरेलू उद्योग के वित्तीय मानकों में गिरावट प्रारंभ हो गई, क्योंकि लागत में वृद्धि के बावजूद उसे अपनी बिक्री कीमत स्थिर रखने अथवा घटाने के लिए विवश होना पड़ा।

ड. संबद्ध देशों द्वारा अपनाई जा रही आक्रामक बिक्री रणनीतियों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विचाराधीन उत्पाद दीर्घकालिक अनुबंधों/निविदाओं के अंतर्गत बेचा जाता है, घरेलू उद्योग बड़ी हुई लागत के अनुरूप अपनी कीमत तत्काल संशोधित नहीं कर सका।

ढ. जांच अवधि के दौरान बिक्री लागत में 22 सूचकांक अंकों की वृद्धि होने के बावजूद, पाटित आयातों के दबाव में आवेदक अपने बिक्री मूल्य उसी अनुपात में नहीं बढ़ा सका। यह उल्लेखनीय है कि कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि के बावजूद, क्षति अवधि के दौरान पंहुच मूल्य में केवल 1 सूचकांक अंक की वृद्धि हुई।

ण. आवेदक को पाटित आयातों के कीमतों से मुकाबला करने के लिए विवश होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के सभी लाभप्रदता मानकों में गंभीर गिरावट आई और जांच अवधि के दौरान घाटा हुआ। इसके अलावा, निवेश अवधि में आवेदक का ROCE (लाभ-प्राप्ति प्रतिशत) नकारात्मक हो गया है।

त. घरेलू उद्योग पर्याप्त आय या लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं रहा है और परिणामस्वरूप पूँजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है।

थ. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की मात्रा में निरपेक्ष तथा सापेक्ष दोनों ही दृष्टियों से हुई वृद्धि यह और अधिक दर्शाती है कि ऐसे आयात भारतीय बाज़ार में शीघ्रता से प्रवेश करने और उसे अपने अधीन करने की क्षमता रखते हैं।

द. संबद्ध देशों के उत्पादक, जो अत्यधिक निर्यात-उन्मुख हैं, अपने घरेलू बाज़ार की खपत की तुलना में पर्याप्त अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बनाए हुए हैं, जिससे भारतीय घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की आशंका उत्पन्न होती है।

ध. यद्यपि प्रस्तावित जांच अवधि में मांग और आपूर्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, इसके बावजूद आयात अत्यधिक स्तर पर बढ़े हैं। अतः यह स्पष्ट है कि आयात में वृद्धि की दर और मात्रा ऐसी है जो न केवल घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रही है, बल्कि उसे और अधिक गंभीर क्षति की आशंका में भी डाल रही है।

न. जांच अवधि में मांग में वृद्धि हुई है, अतः मांग में कमी को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

42. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संकेत करने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। इसमें सभी संगत तथ्यों पर विचार किया जाएगा, जिनमें पाठित आयात की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाज़ार में उनके कीमतों पर प्रभाव तथा ऐसे आयातों का उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर पड़ने वाला परिणामी प्रभाव शामिल है। पाठित आयातों के मूल्य प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या ऐसे आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में उल्लेखनीय कीमत कटौती की गई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में उल्लेखनीय रूप से कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा उल्लेखनीय रूप से बढ़ सकती थीं। भारत में घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के अनुरूप उद्योग की स्थिति से संबंधित सूचकांकों, जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार किया गया है।

43. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अन्य किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा क्षति के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ज.3.1 क्षति का संचयी आकलन

44. विश्व व्यापार संगठन के करार के अनुच्छेद 3.3 तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों में, जहां किसी उत्पाद का एक से अधिक देशों से आयात एक साथ पाटनरोधी जांच के अधीन हो, प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करेंगे, यदि वह यह निर्धारित करता है कि:

क. प्रत्येक देश से आयात के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन, निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाने पर, दो प्रतिशत से अधिक हो तथा प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के कुल आयात का तीन प्रतिशत (या उससे अधिक) हो, अथवा जहां किसी एक देश से आयात तीन प्रतिशत से कम है, वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के कुल आयात का सात प्रतिशत से अधिक है; और

ख. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन, आयातित वस्तुओं और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त है।

45. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

क. संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से भारत में पाठित की जा रही हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा, कुल आयात मात्रा का अलग-अलग रूप से तीन प्रतिशत से अधिक है।

ग. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उपयुक्त है, क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न केवल एक-दूसरे द्वारा दी गई समान वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाज़ार में घरेलू उद्योग द्वारा बेची जा रही समान वस्तु के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

46. उपरोक्त के दृष्टिगत, प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाठित आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करना उपयुक्त है।

ज.3.2 पाठित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

47. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग एवं अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से होने वाले आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार अनुमानित मांग नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

मांग का आकलन	विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	16	0	4	122	
चीन	एमटी	4	0	1	100	
थाईलैंड	एमटी	12	0	3	22	
अन्य देशों से आयात	एमटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल आयात	एमटी	16	0	4	122	
आबद्ध छोड़कर घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***	
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	51	32	91	
अन्य उत्पादक की बिक्री	एमटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
पीयूसी की आबद्ध खपत	एमटी	***	***	***	***	
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	68	97	151	
आबद्ध को छोड़कर कुल मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***	
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	48	31	126	
आबद्ध को शामिल करते हुए कुल मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***	
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	57	61	137	

* स्रोत: डीजी सिस्टम्स के अनुसार आयात डेटा और घरेलू उद्योग के 4ए पर आधारित अन्य डेटा।

48. यह देखा गया है कि पीयूसी के लिए आबद्ध सहित मांग वर्ष 2022-23 में प्रारंभ में घटी, परंतु इसके बाद 2023-24 और पीओआई में बढ़ी है। इसके अलावा, आबद्ध को छोड़कर मांग 2022-23 और 2023-24 में घटी, किंतु इसके बाद पीओआई में बढ़ी है।

49. यह नोट किया गया है कि आधार वर्ष और पीओआई को छोड़कर, संबद्ध वस्तुओं की मांग लगभग पूरी तरह घरेलू उद्योग द्वारा ही पूरी की जा रही थी।

50. यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए आबद्ध को छोड़कर कुल मांग में क्षति अवधि के दौरान 26% की वृद्धि हुई है।

ख) समग्र तथा सापेक्ष रूप में आयात

51. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा तथा क्षति जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध आयात	एमटी	16	0	4	122
चीन	एमटी	4	0	1	100
थाईलैंड	एमटी	12	0	3	22
अन्य आयात	एमटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल आयात	एमटी	16	0	4	122
निम्न के संबंध में संबद्ध आयात					
घरेलू उत्पादन	%	***	***	***	***
घरेलू उत्पादन	रेंज	0-10	0-10	0-10	10-20
मांग (आबद्ध को छोड़कर)	%	***	***	***	***
मांग (आबद्ध को छोड़कर)	रेंज	0-10	0-10	0-10	30-40
मांग (आबद्ध सहित)	%	3%	0%	1%	16%
मांग (आबद्ध सहित)	रेंज	0-10	0-10	0-10	10-20
कुल आयात	%	100	100	100	100

* स्रोत: डीजी सिस्टम्स के अनुसार आयात डेटा।

52. उपरोक्त से, प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

- पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयात में अचानक वृद्धि देखी गई है।
- जहाँ संबद्ध देशों से आयात वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2023-24 में आबद्ध को छोड़कर मांग का केवल *** % और *** % था, वहाँ पीओआई में ऐसे आयात कुल मांग का लगभग *** % हो गए हैं।
- यह भी नोट किया गया है कि यद्यपि पीओआई में आबद्ध को छोड़कर मांग में वृद्धि हुई है, तथापि इस मांग में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी में कमी आई है, जबकि संबद्ध देशों से आयात की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- घरेलू उत्पादन तथा आबद्ध को छोड़कर मांग के सापेक्ष आयात की मात्रा में पीओआई के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

ज.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

53. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के पैरा (ii) के अनुसार पाटित आयातों के कीमत पर प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमतों

की तुलना में कोई महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ गई होती।

क) कीमत कटौती

54. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, पीओआई के दौरान संबद्ध आयातों के पंहुच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से करके कीमत कटौती का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार निर्धारित कीमत कटौती नीचे दी गई है।

कीमत कटौती				
विवरण	यूनिट	चीन जन. गण.	थाईलैंड	संबद्ध देश
पंहुच मूल्य	रु/एमटी	***	***	***
निवल बिक्री प्राप्ति	रु/एमटी	***	***	***
कीमत कटौती	रु/एमटी	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	0-10	0-10	0-10

* स्रोत: डीजी सिस्टम्स के अनुसार आयात डेटा और घरेलू उद्योग के 4ए पर आधारित अन्य डेटा।

55. यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे थे। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि वह अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के प्रयास में कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए विवश है। इसके बावजूद, कीमत कटौती सकारात्मक बनी हुई है।

ख) कीमत ह्लास/कीमत न्यूनीकरण

56. घरेलू बाजार में कीमत ह्लास और कीमत न्यूनीकरण के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने संबद्ध आयातों के पंहुच मूल्य के साथ घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना करने के पश्चात कीमत ह्लास और कीमत न्यूनीकरण की मौजूदगी की जांच की है। इसका विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

कीमत ह्लास/कीमत न्यूनीकरण					
विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री लागत	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	113	122
पंहुच मूल्य	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	0	104	101
निवल बिक्री प्राप्ति	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	104	104

* स्रोत: डीजी सिस्टम्स के अनुसार आयात डेटा और घरेलू उद्योग के 4ए पर आधारित अन्य डेटा।

57. उपरोक्त से, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा निवल बिक्री प्राप्ति दोनों में वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री लागत में वृद्धि, निवल बिक्री प्राप्ति में हुई वृद्धि की तुलना में कहीं

अधिक रही है, जिसके परिणामस्वरूप कीमत ह्रास हुआ है। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि पीओआई में पंहुच मूल्य, 2023-24 की तुलना में कम हो गया है।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

58. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि तथा पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानकों पर नीचे चर्चा की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग एवं बिक्री मात्रा

59. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्री मात्रा पर विचार किया है।

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग एवं बिक्री					
विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	62	64	113
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
रेंज	%	60-70	40-50	40-50	70-80
आबद्ध को छोड़कर घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	51	32	91
आबद्ध खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	68	97	151

* स्रोत: घरेलू उद्योग के 4ए के अनुसार आंकड़े।

60. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- क. घरेलू उद्योग का उत्पादन मुख्यतः संबद्ध वस्तुओं की मांग में होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुरूप परिवर्तित हुआ है। तथापि, क्षति अवधि के दौरान कुल मिलाकर उत्पादन में वृद्धि हुई है।
- ख. मांग और उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की आबद्ध को छोड़कर बिक्री में गिरावट आई है।
- ग. यद्यपि क्षति अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है, तथापि यह नोट किया गया है कि पीओआई में पर्याप्त मांग होने के बावजूद भारतीय क्षमताओं का *** % हिस्सा अप्रयुक्त बना हुआ है।

ख) बाजार हिस्सा

61. घरेलू उद्योग तथा आयात का बाजार हिस्सा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

बाजार हिस्सा					
विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
घरेलू उद्योग	रेंज	90-100	90-100	90-100	60-70
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
संबद्ध आयात	रेंज	0-10	0-10	0-10	30-40
अन्य देश से आयात	%	***	***	***	***
अन्य देश से आयात	रेंज	0-10	0-10	0-10	0-10

62. यह नोट किया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 एवं वित्त वर्ष 2023-24 में सुधार के पश्चात, पीओआई में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में यह अचानक आई गिरावट संबद्ध देशों से पाटित आयात की बाजार हिस्सेदारी में हुई वृद्धि के साथ स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई है।

ग) मालसूची

63. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

मालसूची					
विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	98	87

* स्रोत: घरेलू उद्योग के अनुच्छेद 4ए के अनुसार सूची।

64. यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में कमी आई है, तथापि घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन एवं बिक्री की तुलना में मालसूची का स्तर अब भी काफी अधिक बना हुआ है।

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ एवं नियोजित पूंजी पर आय

65. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय तथा नकद लाभ नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

लाभप्रदता मापदंड					
विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री लागत	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	113	122
निवल बिक्री प्राप्ति	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	104	104
पीबीटी	रु/एमटी	***	***	***	(***)

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	5	(94)
पीबीआईटी	रु/एमटी	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	56	7	(88)
पीबीडीआईटी	रु/एमटी	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	16	(72)
नकद लाभ	रु/एमटी	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	57	14	(77)
आरओसीई	%	***	***	***	(***)
रेंज	%	60-70	10-20	0-10	(40) - (30)

* स्रोत: घरेलू उद्योग के 4A पर आधारित डेटा।

66. उपर्युक्त से, यह नोट किया गया है कि:

क. आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की विक्री लागत में 22 सूचकांक अंकों की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान निवल विक्री प्राप्ति में केवल 4 सूचकांक अंकों की ही वृद्धि हुई है।

ख. यह भी नोट किया गया है कि विक्री लागत में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग अपनी निवल विक्री प्राप्ति को समानुपातिक रूप से बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई है, जिससे पीओआई में उसे घाटा हुआ है।

ग. यह महत्वपूर्ण है कि घरेलू उद्योग ने पीओआई के दौरान भारी नकद घाटा उठाया है तथा और इस अवधि के दौरान इसका आरओसीई भी नकारात्मक हो गया है।

इ) रोजगार, उत्पादकता एवं मजदूरी

67. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी एवं उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

श्रम और उत्पादकता मापदंड					
विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	76	75	96
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	76	91	148
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	62	65	113
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	86	118

* स्रोत: घरेलू उद्योग के 4A के अनुसार डेटा।

68. यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। तथापि, इसी क्षति अवधि के दौरान मजदूरी में वृद्धि हुई है।

69. घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप, क्षति अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादकता तथा प्रति कर्मचारी उत्पादकता में भी निरंतर वृद्धि हुई है।

च) वृद्धि

विवरण	यूओएम	2022-23	2023-24	पीओआई
उत्पादन	%	(***)	***	***
घरेलू विक्री	%	(***)	(***)	***
लाभ	%	(***)	(***)	(***)
आरओसीई	%	(***)	(***)	(***)
नकद लाभ	%	(***)	(***)	(***)

70. उपरोक्त से, यह नोट किया गया है कि यद्यपि घरेलू उद्योग का उत्पादन और घरेलू विक्री बढ़ी है, किंतु लाभप्रदता और आरओसीई में भारी गिरावट आई है। विशेष रूप से, घरेलू उद्योग के नकद लाभ में काफी कमी आई है।

छ) पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

71. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह पर्यास लाभ अर्जित करने में असमर्थ रहा है और इसलिए, उसकी पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता में गंभीर रूप से बाधा आई है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि पाटित आयातों के कारण कोई नया निवेश नहीं किया जा रहा है क्योंकि घरेलू उत्पादक पहले से किए गए निवेश पर लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं हैं।

ज) पाटन की मात्रा

72. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन की मात्रा काफी अधिक है।

73. उपरोक्त के दृष्टिगत, प्राधिकारी अनंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पंहुचे हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ज.3.5 गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध

74. प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या पाटनरोधी नियमावली, 1995 के तहत सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकते हैं। प्राधिकारी ने पाटित आयातों के अलावा ऐसे ज्ञात कारकों की समीक्षा की और यह निर्धारित किया कि क्या ऐसे कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने का कारण हो सकते हैं, ताकि इन अन्य कारकों से होने वाली क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जा सके। इस संदर्भ में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमत पर नहीं बेची गई संबद्ध वस्तुओं की मात्रा, मांग में कमी या खपत की प्रवृत्ति में बदलाव, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं।

क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

75. संबद्ध देशों से आयात भारत में कुल आयात का 100% है। तीसरे देशों से कोई आयात नहीं हुआ है।

घ) मांग में कमी

76. यद्यपि आधार वर्ष के बाद शुरूआत में मांग में कमी आई थी, किंतु पीओआई में संबद्ध वस्तुओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग बढ़ी। अतः घरेलू उद्योग को मांग में कमी के कारण क्षति नहीं हुई है।

ग) खपत की प्रवृत्ति

77. यह नोट किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद की खपत की प्रवृत्ति में ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकता हो।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थिति और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि प्रतिस्पर्धा की स्थिति या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं।

ङ) प्रौद्योगिकी में विकास

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की तकनीक में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकता हो।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

80. उपरोक्त विश्लेषण में केवल घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के निष्पादन को ध्यान में रखा गया है। अतः, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को हुए नुकसान का कारण नहीं माना जा सकता है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

81. उपरोक्त विश्लेषण केवल घरेलू समकक्ष उत्पाद के निष्पादन पर आधारित है। अतः अन्य उत्पादों के निष्पादन को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मूल्यांकन करते समय नहीं लिया गया है।

ज.3.6 कारणात्मक संबंध सिद्ध करने वाले कारक

82. चूंकि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के तहत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचाई है इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मानदंड अनंतिम रूप से यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है:

- i. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पाटन हो रहा है।
- ii. पीओआई में पाटित आयातों की मात्रा में समग्र और सापेक्ष दोनों रूपों में, उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है।
- iii. पीओआई में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है, जबकि मांग बढ़ी है, यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से आयात ने वास्तव में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर कब्जा किया है।
- iv. संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती की है तथा घरेलू उद्योग की कीमतों कर ह्रास और न्यूनीकरण किया है।
- v. मांग में वृद्धि के साथ पीओआई में उत्पादन बढ़ा है, किंतु घरेलू बिक्री उत्पादन के अनुरूप नहीं बढ़ी है।
- vi. घरेलू उद्योग ने पीओआई में नकद घाटा सहित हानि उठाई और इस अवधि के दौरान नकारात्मक आय अर्जित की।

83. पूर्वोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी अनंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पंहुँचे हैं कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध मौजूद है।

झ. क्षति मार्जिन का मात्रा

84. प्राधिकारी ने यथा संबंधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली, 1995 में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद के लिए एनआईपी घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत से संबंधित जानकारी/आकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। एनआईपी पर संबद्ध देश से पंहुच मूल्य की तुलना करके क्षति मार्जिन की गणना के लिए विचार किया गया है। एनआईपी निर्धारित करते समय, क्षति अवधि के दौरान कच्ची सामग्री और सुविधाओं का सर्वोत्तम उपयोग ध्यान में रखा गया। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग को ध्यान में रखा गया। असाधारण या गैर-आवर्ती खर्चों को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। उत्पाद के लिए औसत पूँजी पर उचित आय (कर-पूर्व 22% की दर से) को कर-पूर्व लाभ के रूप में एनआईपी में शामिल किया गया, जैसा कि नियमावली, 1995 के अनुबंध-III में विहित है।

85. पंहुच मूल्य और ऊपर यथा निर्धारित एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

क्षति मार्जिन तालिका

उत्पादक	पंहुच मूल्य (अम. डा./एमटी)	क्षतिरहित कीमत (अम. डा./एमटी)	क्षति मार्जिन (अम. डा./एमटी)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज)
चीन					
वुहान वूयाओ फार्मास्युटिकल्स कं. लि.	***	***	***	***	10-20
अन्य	***	***	***	***	10-20
थाईलैंड					
अन्य	***	***	***	***	15-25

ज. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

86. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो पीयूसी के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता और अंतिम उपभोक्ता के लिए लागत बढ़ जाएगी और भारत में अंतिम प्रयोक्ता प्रभावित होंगे।

ख. संबंधित मंत्रालय शुल्क के लागू होने का विरोध करेगा क्योंकि इसका बड़ी संख्या में निर्यातिक/व्यापारी/आयातक और प्रयोक्ताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

ज.2 घरेलू उद्योग के विचार

87. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. पीयूसी विभिन्न संयोजनों में उपयोग किया जाता है और कुछ संयोजनों के लिए कीमतें एनपीपीए द्वारा नियंत्रित होती हैं।

ख. सभी अंतिम उत्पादों पर प्रभाव लगभग 2% होगा, जबकि नियंत्रण-रहित उत्पादों पर अर्थात उन संयोजनों की कीमतें पर, जिनकी कीमत एनपीपीए द्वारा नियंत्रित नहीं है, प्रभाव लगभग 1% होगा।

ग. यह नोट किया जाता है कि नियंत्रण-रहित उत्पादों का बाजार हिस्सेदारी लगभग 90% है।

घ. घरेलू उद्योग के पास भारत में संबद्ध वस्तु की मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य सामान्यतः घरेलू उद्योग को पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार से हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके, जो देश के सामान्य द्वित में है। पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य किसी भी तरह से संबद्ध देशों से आयात को रोकना नहीं है। व्यापार उपचार जांच का उद्देश्य घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसर बहाल करना है, ताकि घरेलू उत्पादकों के लिए उचित शुल्क लगाकर व्यापार-समस्या उत्पन्न करने वाले आयातों के विरुद्ध समान स्तर की प्रतियोगिता सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही, प्राधिकारी यह जानते हैं कि ऐसे शुल्क का प्रभाव केवल घरेलू उत्पादकों पर ही नहीं बल्कि पीयूसी के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है। इसके अलावा, शुल्क लगाने से घरेलू प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन यह देश में नए उत्पादकों के उद्भव को भी प्रोत्साहित कर सकता है।

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में किसी भी भारतीय प्रयोक्ता ने भाग नहीं लिया। यह भी देखा गया कि घरेलू उद्योग के अलावा केवल चीन के व्यापारी अर्थात सिनोब्राइट और ब्रिलिएंट ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने बाजार में बेची जाने वाली संबद्ध वस्तु से बने विभिन्न फार्मूलेशनों का विस्तृत प्रभाव प्रस्तुत किया है, तथापि सिनोब्राइट और ब्रिलिएंट ने अपनी प्रश्नावली में केवल सामान्य कथन प्रस्तुत किए हैं।

90. रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एथाम्ब्युटोल हाइड्रोक्लोराइड के कुछ फार्मूलेशन राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) द्वारा नियंत्रित हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क का अंतिम उत्पादों पर प्रभाव लगभग 0-2% होगा। यह नोट किया गया कि अन्य किसी हितबद्ध पक्षकार ने एथाम्ब्युटोल के फार्मूलेशन की कीमत प्रभाव की गणना प्रस्तुत नहीं की।

91. यह भी नोट किया गया कि भारत में पीयूसी के लिए कोई मांग-आपूर्ति अंतराल नहीं है। वर्तमान अपर्याप्त क्षमता उपयोग स्तर पर भी, घरेलू उद्योग के पास भारत की पूरी मांग को पूरा करने की क्षमता है। वास्तव में, पिछले वर्षों में घरेलू उद्योग ने भारत की पूरी मांग को पूरा किया है।

92. यह भी नोट किया गया कि संबद्ध वस्तुएं क्षय रोग रोधी दवा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक घटक हैं। तदनुसार, घरेलू आपूर्ति स्रोत राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और चिकित्सा आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

ट. निष्कर्ष और सिफारिश

93. ऊपर यथा उल्लिखित अनुरोधों, प्रदत्त सूचना और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

क. पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन लुपिन लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। लुपिन लिमिटेड का पात्र घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ब) के तहत स्थिति संबंधी मानदंड को पूरा करता है।

ख. विचाराधीन उत्पाद एथाम्ब्युटोल हाइड्रोक्लोराइड है।

ग. संबद्ध देशों के भागीदार उत्पादकों ने पीयूसी के दायरे पर कोई टिप्पणी नहीं की और न ही किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने पीसीएन पद्धति अपनाने का सुझाव दिया।

घ. चीन जन. गण. के संदर्भ में, किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया, इसलिए चीन के एक्शेसन प्रोटोकॉल और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार, सामान्य मूल्य भारत में प्रदत्त या देय मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया।

इ. थाईलैंड के संबंध में, थाईलैंड से किसी निर्यातिक ने भाग नहीं लिया, इसलिए ऐसे निर्यातिकों के लिए सामान्य मूल्य, उत्पादन लागत, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च और उचित लाभ के आधार पर निर्धारित किया गया।

ज. सहयोगी उत्पादकों और निर्यातिकों के लिए निर्यात कीमत अनंतिम रूप से उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर निर्धारित की गई है। यह सत्यापन के अधीन है।

छ. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन काफी अधिक है और निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक है।

ज. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा में पीओआई में समग्र और सापेक्ष रूप से क्षति अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है।

झ. संबद्ध देशों से संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

ज. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण किया है और ऐसी कीमत वृद्धि को रोका है जो अन्यथा बढ़ गई होती।

ट. ऐसे पाटित आयातों के घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव के संबंध में, निम्नलिखित अनंतिम निष्कर्ष निकाले गए हैं:

- i. संबद्ध देशों से आयात की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है जबकि घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी घट गई है। भारत की पूरी मांग और मांग में वृद्धि को भी पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, पीओआई में घरेलू उद्योग की काफी क्षमता निष्क्रिय रही है।
- ii. घरेलू उद्योग को पीओआई में घाटा, नकद घाटा और नकारात्मक आय प्राप्त हुई है।

ठ. घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

ड. किसी अन्य ज्ञात कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचाई है और घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबद्ध आयातित पाटन के कारण हुई है।

ढ. पाटनरोधी शुल्क लगाना व्यापक जनहित में है क्योंकि यह निष्पक्ष बाजार स्थितियों को बहाल करेगा और भारत में समान स्तर की प्रतिस्पर्धा स्थापित करेगा। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को वित्तीय नुकसान, नकद नुकसान और नियोजित पूँजी पर नकारात्मक आय प्राप्त हुई है। ऐसे मामले में, बाजार स्थितियाँ आगे निवेश के लिए अनुकूल नहीं हैं।

ण. यह महत्वपूर्ण है कि संबद्ध वस्तुएं टीबी रोधी दवा निर्माण में उपयोग की जाती हैं। इसलिए, यह सार्वजनिक हित में है कि आपूर्ति के विविध स्रोत हों, जिनमें घरेलू स्रोत भी शामिल हों।

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया तथा घरेलू उद्योग, निर्यातिक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू के बारे में सकारात्मक जानकारी प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार शुरू और संचालित करने के बाद, प्राधिकारी का विचार है कि जांच पूरी होने तक पाटन और क्षति की भरपाई करने के लिए अनंतिम शुल्क लगाने की आवश्यकता है। अतः प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं कि संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाए।

95. अपनाये गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर राशि के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए। तदनुसार, प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए, जो नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में

उल्लिखित राशि के बराबर हो, और इसे केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ आयात का पंहुच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमाशुल्क का लागू स्तर होगा।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि (अमडा./ एमटी)
1	2	3	4	5	6	7
1	2905 1410, 2905 1490	“एथम्बुटोल, एथम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड”	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	वुहान बूयावो फार्मास्युटिकल कं. लि.	5,124
2	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	क्रम सं. 1 से इतर कोई उत्पादक	6,096
3	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य और थाईलैंड किंगडम से इतर कोई देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	6,096
4	वही	वही	थाईलैंड किंगडम	कोई	कोई	6,513
5	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य और थाईलैंड किंगडम से इतर कोई देश	थाईलैंड किंगडम	कोई	6,513

ठ. आगे की प्रक्रिया

96. प्रारंभिक जॉच परिणाम के अधिसूचित होने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

- प्राधिकारी इन जॉच परिणामों के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर इन अनंतिम जॉच परिणाम पर सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं, और प्राधिकारी द्वारा संगत समझी जाने वाली टिप्पणियों को अंतिम जॉच परिणाम में शामिल किया जाएगा।
- प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(6) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध जॉच से संगत अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए मौखिक सुनवाई आयोजित करेगे।
- मौखिक सुनवाई की तारीख डीजीटीआर की वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) पर प्रकाशित की जाएगी।

घ. प्राधिकारी आवश्यकतानुसार हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का आगे और सत्यापन करेंगे।

ड. प्राधिकारी पाठनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध जाँच के अंतिम जाँच परिणाम जारी करने से पहले अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन करेंगे।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
PRELIMINARY FINDINGS

New Delhi, the 30th January, 2026

Case No. AD (OI) – 22/2025

Subject: Anti-dumping duty investigation concerning imports of “Ethambutol Hydrochloride” originating in or exported from the People’s Republic of China and the Kingdom of Thailand.

F. No. 6/25/2025-DGTR. — Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Rules’ or ‘AD Rules, 1995’):

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Whereas, M/s Lupin Limited (hereinafter referred to as the ‘applicant’) filed an application, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the ‘Authority’) in accordance with Act and the AD Rules, 1995 for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Ethambutol Hydrochloride” (hereinafter also referred to as the ‘product under consideration’ or the ‘PUC’ or the ‘subject goods’) originating in or exported from the People’s Republic of China (“China”) and the Kingdom of Thailand (“Thailand”) (hereinafter also referred to as the ‘subject countries’).
2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant, the Authority issued a public notice vide Notification No. 6/25/2025-DGTR dated 23rd September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation into imports of PUC from the subject countries in accordance with Section 9A of Act read with Rule 5 of AD Rules, 1995 to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - a. The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of AD Rules, 1995.
 - b. The Authority issued a public notice dated 23rd September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods from the subject countries.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the governments of the subject countries, through their embassies in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers/users, the domestic industry, the other Indian producers as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limits.

- d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the governments of the subject countries, through their embassies in India, in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules, 1995. A copy of the non-confidential version of the application was provided to other interested parties, wherever requested.
- e. The Authority sent an Exporter's Questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules, 1995:
 - i. Conscientia Industrial Co., Ltd, China PR
 - ii. Wuhan Wuyao Pharmaceutical Ltd, China PR
 - iii. Anhui Baker Pharmaceuticals Co. Ltd., China PR
 - iv. Shenyang Hongqi Pharmaceutical Co., Ltd., China PR
 - v. Guangzhou Pharmaceuticals Ltd, China PR
 - vi. Linaria Chemicals (Thailand) Ltd., Thailand
- f. The embassies of the subject countries in India were requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- g. A copy of the initiation notification and non-confidential version of the application was sent to the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers.
- h. In response, the following producers/exporters from the subject countries have responded by filing questionnaire responses:
 - i. Wuhan Wuyao Pharmaceutical Ltd, China PR
 - ii. M/s Sinobright Pharmaceutical Industries Ltd, China PR
 - iii. M/s Brilliant Pharmaceutical Limited, China PR
- i. The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules, 1995.
 - i. Anuh Pharma Ltd
 - ii. Aquatic Remedies Limited
 - iii. Cadila Pharmaceuticals Limited
 - iv. Imex Overseas
 - v. Macleods Pharmaceuticals Limited
 - vi. Alpha Chemika
 - vii. Strides Pharma Science Limited
 - viii. Healthy Life Pharma Pvt. Ltd.
 - ix. Chemical Bull Pvt. Ltd.
 - x. Joshi Agrochem Pharma Pvt. Ltd.
 - xi. Godavari Drugs Limited
 - xii. Centurion Healthcare Pvt. Ltd
 - xiii. Niksan Pharmaceuticals.
 - xiv. Chemcopia Ingredients Pvt. Ltd.
- j. In response, none of the importers/users have responded by filing questionnaire responses.

- k. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties to other interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- l. Request was made to the DGCI&S and DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- m. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st April 2024 to 31st March 2025 (12 months). The examination of trends in the context of injury analysis covers a period of FY 2021-22, FY 2022-23, FY 2023-24 and the period of investigation.
- n. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.
- o. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- p. The Authority sought comments on the scope of the PUC and PCN methodology within 15 days of intimation letter sent to the known exporters/importers, etc. dated 1st October 2025. No comments were received from any of the interested parties, therefore The Authority, vide notification dated 29th October 2025, notified the final scope of PUC and PCN as defined in the initiation notification.
- q. The non-injurious price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure-III to the AD Rules, 1995 has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- r. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same is supported with evidence and considered relevant to the present investigation. The Authority will further examine the evidentiary documents submitted by the interested parties subsequent to preliminary findings, which will form the basis for conclusions at the time of final findings.
- s. ‘****’ in this document, represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules, 1995.
- t. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 85.45

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Views of other interested parties

- 4. No submissions have been made by the other interested parties concerning the scope of the PUC.

C.2 Views of the domestic industry

5. The following submissions have been made by the domestic industry concerning the scope of the PUC:
 - a. Ethambutol Hydrochloride is a bacteriostatic drug with molecular formula $C_{10}H_{24}N_2O_2.2HCl$.
 - b. It is a white crystalline powder manufactured from Ethambutol, which is a pure compound (free base). Ethambutol exists as an oily liquid with poor water solubility and limited stability. To make it suitable for use in tablets and other dosage forms, it is converted into its salt form called Ethambutol Hydrochloride (HCl).
 - c. Ethambutol (free base) does not have any standalone therapeutic use and is not used directly in formulations. It is only utilized after conversion to its hydrochloride salt form — Ethambutol HCl. Accordingly, Ethambutol (base) and Ethambutol HCl, share the same end use, i.e., as a drug substance. Accordingly, the applicant requests the Authority to consider both forms of Ethambutol as part of the PUC.
 - d. Ethambutol is imported under the HS Codes 2905 14 10 and 2905 14 90. The applicant requested the Authority to call for DGCI&S data for both tariff headings for examining import data. Further, keeping in line with the Authority's consistent practice, the applicant requested the Authority to treat the aforementioned customs classification as indicative only and not binding on the scope of the present investigation.

C.3 Examination by the Authority

6. The product under consideration in the present investigation is ““Ethambutol Hydrochloride” which is a bacteriostatic drug with molecular formula $C_{10}H_{24}N_2O_2.2HCl$. It is a white crystalline powder manufactured from Ethambutol, which is a pure compound (free base). Ethambutol exists as an oily liquid with poor water solubility and limited stability. To make it suitable for use in tablets and other dosage forms, it is converted into its salt form called Ethambutol Hydrochloride (HCL). The present investigation seeks to cover the Product under Consideration when they are imported into India in both the forms”
7. The PUC is classified in Chapter 29 titled “Organic Chemicals” under HS Code 2905 14 10. The domestic industry has claimed that the subject goods are also imported under 2905 14 90. The customs classification is indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
8. It is noted that no PCN methodology was proposed by the domestic industry in its application. *Vide* Initiation Notification dated 23.09.2025, the Authority called comments on the scope of the PUC and PCN methodology from all interested parties. It is noted that none of the interested parties have filed any comments concerning the scope of the PUC or suggested adoption of any PCN methodology. Accordingly, the Authority *vide* Notification dated 29.10.2025 communicated that no comments were received concerning the scope of the PUC or PCN methodology and that the Authority proceeded with the same scope of the PUC as notified in Initiation Notification No. 6/25/2025-DGTR dated 23.09.2025.
9. The Authority notes that there are no known differences in the product produced by the domestic industry and the goods imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The Authority notes that the two are technically and commercially substitutable.

10. Therefore, the Authority provisionally concludes that the subject goods produced by the domestic industry in India are “like article” to the subject goods being imported from the subject countries, as defined under Rule 2(d) of the Rules. In view of the above the Authority provisionally holds that the product under consideration is the same as was defined in the initiation notification dated 23.09.2025 and is as under:

“The Product under Consideration in the present investigation is “Ethambutol Hydrochloride” which is a bacteriostatic drug with molecular formula C₁₀H₂₄N₂O₂.2HCl.

It is a white crystalline powder manufactured from Ethambutol, which is a pure compound (free base). Ethambutol exists as an oily liquid with poor water solubility and limited stability. To make it suitable for use in tablets and other dosage forms, it is converted into its salt form called Ethambutol Hydrochloride (HCl). The present investigation seeks to cover the Product under Consideration when they are imported into India in both the forms.”

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Views of other interested parties

11. The other interested parties have not made any submissions concerning the scope of the domestic industry.

D.2 Views of the domestic industry

12. The following submissions have been made by the other domestic industry:

- Apart from Lupin Limited, there is one other domestic manufacturer, namely Cadila Pharmaceuticals Limited, which manufactures the subject goods.
- Cadila Pharmaceuticals Limited is an importer of the subject goods.
- Themis Medicare Limited used to manufacture the subject goods, however, it has stopped production of the subject goods.

D.3 Examination by the Authority

13. Rule 2(b) of the AD Rules defines domestic industry as under:

“(b) ‘domestic industry’ means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers’.”

14. Applicant has claimed that apart from Lupin Limited, there is one more producer of the subject goods, i.e., Cadila Pharmaceutical Limited. Themis Medicare Ltd. used to manufacture subject goods, however, they have stopped production of the subject goods. Applicant has further claimed that Cadila Pharmaceutical Ltd is also an importer of the subject goods.

15. The claim of the applicant was verified from DG Systems data and it is noted that Cadila Pharmaceutical Ltd has imported *** MT of the subject goods in the POI. Further, Authority vide email dated 22nd August 2025 asked M/s Cadila Pharmaceuticals Limited and Themis Medicare

Ltd. to clarify and provide information related to manufacturing of subject goods, like manufacturing capacity, production quantity, domestic sales, import quantity of PUC, if any. No reply has been received till date from both the companies.

16. The Authority notes from the information available on record that Lupin Limited has not imported the subject goods from the subject countries. Moreover, it is not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or importer of the subject goods in India. The Authority notes that the applicant holds major share in total domestic production in the country. Thus, the applicant constitutes domestic industry as defined under Rule 2(b) of the AD Rules, 1995, and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Views of other interested parties

17. The following submissions have been made by the other interested parties concerning confidentiality claims:

- a. Sinobright Pharmaceutical Industries Limited does not have any offices in India, the website information for office in New Delhi and Mumbai is only a marketing strategy. In fact, no address has been mentioned under the window New Delhi and Mumbai on the website.
- b. As regards Excessive confidentiality, the exporter questionnaire response has been filed based on the Trade notice No.06/2021 dated 29th July,2021. Wherever confidentiality has been claimed reasons for such claim has been duly recorded in the response.
- c. Brilliant Pharmaceutical Limited was incorporated in 2022 and the data for the base year as reported in Appendix-1 refers to Calendar year 2022, as the financial year of the exporter is January to December. In 2022 and 2023 the company did not export any PUC neither to India nor to any other country.
- d. The petition filed by the domestic industry is not as per the Trade notice No.05/2021 dated 29th July,2021.
- e. It has been claimed by the other interested party that domestic industry has not disclosed information on major raw materials used in production of PUC, volume and Value of Production by all other producers except Domestic industry, country wise estimates of Normal Value in Petition, R&D Expenses, funds Raised, cost of Sales per Unit- Exports, average industry norm for PBIT as % of Avg. Capital Employed, if any.

E.2 Views of the domestic industry

18. The following submissions have been made by the domestic industry concerning confidentiality claims of the other interested parties:

- a. Participating producer/ exporters have claimed excessive confidentiality in their questionnaire responses without providing sufficient justification for the same.
- b. Brilliant Pharmaceutical Limited's questionnaire response is incoherent as it has reported turnover for products in 2021-22, however, it claims commencement of operations only since 2022.

- c. Wuhan Wuyao has not provided broad-stage wise production process. A general description of the production processes involved is necessary to make meaningful comments on the computation of the dumping margin.
- d. Wuhan Wuyao has claimed the name of its related parties completely confidential and in the absence of the same, Lupin Limited is not able to comment whether any other related company is involved in the production or sale of the PUC.
- e. The contention of Sinobright Pharmaceuticals, that references to an India office on its official website are merely a marketing gimmick is untenable and such statements are directly contradicted by its own publicly available disclosures and conduct.
- f. Sinobright's official website expressly records "2006 – Set up India office" as a corporate milestone and lists India Office (Mumbai) and India Office (New Delhi) as distinct offices. Further, publicly available information, shows that multiple employees of the foreign producer identify themselves as part of its India operations, holding senior and operational roles in Mumbai, Thane, Hyderabad and Delhi, including India operations, sales and marketing (on-site), business development, and warehousing functions.
- g. The nature, number, and geographical spread of these roles demonstrate a structured and ongoing business presence in India, which is inconsistent with Sinobright's claim that it has no office or establishment in the country. Domestic industry submits that the denial of India operations by Sinobright is not credible, and its submissions on this aspect cannot be relied upon. Further, in view of this recurring denial and the non-disclosure of Indian offices, the Authority should reject Sinobright's response in entirety.
- h. It is submitted that the Authority in the present costing formats as per Trade Notice 05/2021 do not require the domestic industry to provide information concerning value of production by other domestic industry.
- i. To the best of the domestic industry's knowledge there is no other eligible domestic producer in India other than Lupin Limited, as clearly stated in the non-confidential version of the petition filed by the domestic industry. Accordingly, the requirement for providing information relating to the volume and value of production of producers other than the domestic industry is not applicable.
- j. Similarly, Trade Notice 05/2021 does not require the domestic industry to provide information relating to funds raised, cost of sales per unit for exports, R&D expenses and the average industry norm for PBIT as a percentage of average capital employed. Accordingly, disclosure of same is not warranted. It is also submitted that the range of country-wise estimates of normal value has been duly provided on page 72 of the NCV Application under Exhibit III. The names of raw materials have also been disclosed on page 53 of the Application.

E.3 Examination by Authority

19. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of AD Rules, 1995 provides as follows:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and subrule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.'

20. The interested parties, in their submissions, have raised the issues of confidentiality claims by other interested parties. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. The Authority made available the non-confidential versions of the evidence submitted by the various interested parties by requesting interested parties to exchange the non-confidential version of their submissions. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. With regards to the presence of a related company of Sinobright Pharmaceutical Industries Limited in India, the matter needs further examination. The Authority will further examine this issue during the course of investigation and will decide the issue in the final findings.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1 Views of other interested parties

21. No submissions have been made by the other interested parties.

F.2 Views of the domestic industry

22. No submissions have been made by the domestic industry.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1 Views of other interested parties

23. The following submissions have been made by other interested parties concerning normal value, export price and dumping margin:

- a. The expiration of Section 15(a)(ii) of the Protocol on the Accession of the People's Republic of China to the World Trade Organization on December 11, 2016 means that India, as one of the WTO members, shall be obligated to cease the use of non-market economy methodology in respect of all anti-dumping investigations against China.
- b. After December 11, 2016, India no longer has legal basis under the WTO Agreements to calculate normal value by using the non-market economy methodology. Any such action by India would be inconsistent with the requirements of the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (the "Anti-Dumping Agreement") and other covered agreements.

c. We believe that it is the Ministry of Commerce and Industry's obligation as the investigating authority to solicit the information that it requires to calculate the dumping margin in accordance with the WTO rules.

G.2 Views of the domestic industry

24. The following submissions have been made by the domestic industry concerning normal value, export price and dumping margin:

- Section 9A of the Act provides three methods for determination of normal value:
 - Firstly, on the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory i.e., the selling price of subject goods in the subject country.
 - Secondly, comparable representative export price of the subject goods from the subject country to an appropriate third country; or
 - Lastly, the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling, and general cost and profits.
- The domestic industry attempted to obtain the prevailing prices of the subject goods in Thailand as well as the details of price of exports of subject goods from the subject country to third country markets. However, the domestic industry was not able to find any credible source of information to establish such prices.
- The domestic industry proposes to consider China as a non-market economy country and accordingly requests the Authority to determine the normal value in terms of Para 7 of Annexure I of the AD Rules, 1995.

G.3 Examination by the Authority

25. The Authority notes that the following producer exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses from China PR: -

- Wuhan Wuyao Pharmaceuticals Co., Limited
- M/s-Sinobright Pharmaceutical Industries Ltd.
- M/s-Brilliant Pharmaceutical Limited

G.3.1 Determination of Normal Value and Export Price

a) Normal Value for producers/exporters from China

26. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following.

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

27. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, as well as to the appropriate diplomatic representative advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority within the prescribed time limit.
28. The domestic industry has relied upon Article 15(a)(i) of China's the Accession Protocol as well as para 7 of Annexure I to AD Rules, 1995. The domestic industry has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the domestic industry that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure-I to the AD Rules.
29. It is noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under

Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment. It is noted that since the responding producers/exporters from China PR have not submitted response to the supplementary questionnaire the normal value computation is required to be done as per the provisions of paragraph 7 of Annexure I of the AD Rules, 1995.

30. The Authority notes that none of the participating producers/exporters have claimed market economy treatment in the present case. Accordingly, the normal value has been determined in accordance with Paragraph 7 of Annexure I to the Rules, which states as follows.

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in a similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay of the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

31. As noted above, Paragraph 7 lays down a hierarchy for determination of normal value with respect to non-market economy and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. In the present case, there is no evidence of price or constructed value prevailing in a market economy third country brought forward by any interested party. Apart from the subject countries in the present investigation, there is no imports of subject goods into India from other countries. Thus, imports into India from the market economy third country also could not be considered for determination of normal value.

32. Therefore, the Authority has provisionally determined normal value for China PR as “price payable in India” as stipulated in Paragraph 7. It has been computed based on the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits. The normal value provisionally determined is given below in the dumping margin table.

b) Export price for producers / exporters from China

Export price in case of Wuhan Wuyao Pharmaceuticals Co., Limited (“Wuyao”)

33. Wuyao is a producer of the product under consideration and has filed a questionnaire response. The producer has reported [***] MT of exports of the product under consideration to India during the period of investigation. Wuyao has not exported the subject goods to India directly but has

exported through unrelated traders namely M/s-Sinobright Pharmaceutical Industries Ltd. and M/s-Brilliant Pharmaceutical Limited.

34. Wuyao has exported [***] MT of the subject goods to India, through the following channels:

Wuyao → M/s-Sinobright Pharmaceutical Industries Ltd. → Unrelated customers in India, Qty [***] MT.

Wuyao → M/s-Sinobright Pharmaceutical Industries Ltd. → M/s-Brilliant → Pharmaceutical Limited
Unrelated customers in India, Qty [***] MT.

35. The producer/exporter has claimed adjustments to the export price on account of Inland transportation and Credit cost. The unrelated traders have claimed adjustments on account of ocean freight, ocean insurance, port and related expenses, bank charges, commission and credit cost. The Authority has accepted the adjustments claimed by Wuyao and its unrelated trader on preliminary basis at this stage. The net export price so determined is shown in the table below.

Export price for non-co-operative exporters/producers.

36. The export price for other non-cooperative producers/exporters from China has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995.

c). Normal Value for producers / exporters from Thailand

37. The Authority notes that none of the producers/exporter from Thailand have cooperated in the present investigation. Accordingly, the normal value for non-cooperative producers/exporters from the Thailand has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The provisional normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

d). Export price for producers / exporters from Thailand

38. The export price for non-cooperative producers/exporters from Thailand has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995.

G3.3. Dumping Margin

39. The normal value, export price and dumping margin provisionally determined in the present investigation are as follows:

Dumping Margin Table

Producer	Normal value (\$/MT)	Export Price (\$/MT)	Dumping Margin (\$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin	
					(Range)	
CHINA						
Wuhan Wuyao Pharmaceuticals Co. Limited	***	***	***	***	20-30	
Others	***	***	***	***	25-35	
THAILAND						
Others	***	***	***	***	15-25	

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1 Views of other interested parties

40. The other interested parties have not made any submissions with regard to injury and causal link.

H.2 Views of the domestic industry

41. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:

- a. Compared to the base year, the volume of imports has increased by almost 600 % in the POI, even though there was merely a 25 % increase in the Indian demand.
- b. Compared to 2023-24, imports of subject goods from the subject countries have increased by more than 3025%.
- c. There has been a significant increase in imports, even though the Indian capacities are sufficient to cater to the entirety of the Indian demand. As such, imports are entirely in excess of demand-supply gap.
- d. While the domestic industry was able to increase its sales in the POI with the rise in demand, the growth in volume of imports outpaced domestic industry's domestic sales, despite having sufficient capacity to cater to the entire domestic demand.
- e. Price undercutting from the subject countries was positive and significant during the POI.
- f. Dumped imports from the subject countries have suppressed and depressed the prices of the applicant.
- g. The domestic industry enjoyed a market share of almost *** % in the base year which has declined to *** % in the POI. During the same period, market share of the imports has increased to *** % in the POI compared to *** % in the base year. Due to the aggressive export pricing policy of the exporters from the subject countries, almost *** % of domestic industry's production capacity is lying idle.
- h. While production and capacity utilization of the domestic industry has improved in the proposed POI due to increase in demand, the growth in free market sales of the domestic industry has been much lower compared to the growth in imports from the subject countries.
- i. The free market sales of the domestic industry remain significantly below the base year level despite there being almost *** % increase in demand between the base year and the POI.
- j. Productivity per day has improved during the POI due to increase in production due to increase in demand.
- k. Due to dumping from the subject countries, profitability of the domestic industry has completely eroded and it is now earning losses, making continued operations unsustainable.
- l. The domestic industry's financial parameters started to deteriorate since FY 2023-24 as it was forced to maintain and reduce its selling prices despite an increase in cost.
- m. Considering the aggressive sales strategies being adopted by the subject countries, and the fact that the product under consideration is sold under long term contracts/tenders, the domestic industry could not immediately revise its prices in line with the increased cost.
- n. While cost of sales increased by 22 index points during the POI, the Applicant could not commensurately increase its selling prices under pressure from the dumped imports. It may be noted that landed value over the injury period increased merely by 1 index point, despite an increase in raw material prices.
- o. The applicant has been forced to match the prices of dumped imports, leading to a significant deterioration of all profitability parameters of the domestic industry and losses during the POI. Further, the ROCE of the Applicant has become negative in the POI.

- p. The domestic industry has not been able to earn adequate returns or profits and therefore, its ability to raise capital investment has been impaired significantly.
- q. The increase in volumes of subject goods from the subject countries both in absolute and relative terms further demonstrates the ability of such imports to quickly enter and capture the Indian market.
- r. The producers in the subject countries, who are highly export-oriented, maintain significant excess capacities in relation to their domestic market consumption, which threatens the Indian domestic industry with material injury.
- s. Even though there is no demand and supply gap in the proposed POI, the imports have increased at a very high level. Thus, evidently, the rate and quantum of increase in imports is such that it is not only causing injury to the domestic industry, but also threatening the domestic industry of even more aggravated injury.
- t. The demand has increased in the POI, therefore, decline in demand cannot be a reason for injury to the domestic industry.

H.3 Examination by the Authority

42. Rule 11 of the AD Rules, 1995 read with Annexure II to the AD Rules, 1995 provides that injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the AD Rules, 1995.

43. The Authority notes that none of the other interested parties have made any submission concerning injury within the time period stipulated by the Authority.

H.3.1 Cumulative assessment of injury

44. Article 3.3 of the WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the AD Rules, 1995 provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

- a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as a percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
- b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

45. The Authority notes that:

- a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the *de minimis* limits prescribed under AD Rules, 1995.
- b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
- c. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the imports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

46. In view of the above, the Authority considers that it is appropriate to cumulatively assess the effect of dumped imports of the subject goods from subject countries on the domestic industry.

H.3.2 Volume effect of the dumped imports

a) Assessment of demand / apparent consumption

47. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product concerned in India as the sum of the domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Assessment of Demand	Units	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Particulars					
Imports from Subject Countries	MT	16	0	4	122
China	MT	4	0	1	100
Thailand	MT	12	0	3	22
Imports from Other Countries	MT	Nil	Nil	Nil	Nil
Total Imports	MT	16	0	4	122
Domestic Sales excluding captive	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	51	32	91
Sales of Other producer	MT	Nil	Nil	Nil	Nil
Trend	Indexed	Nil	Nil	Nil	Nil
Captive Consumption of PUC	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	68	97	151
Total Demand/Consumption excluding captive	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	48	31	126
Total Demand/Consumption including Captive	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	57	61	137

* Source: Import data as per DG Systems and other data based on 4A of domestic industry

48. It is seen that demand including captive for the PUC initially declined in 2022-23 but has thereafter increased in 2023-24 and the POI. Further, demand excluding captive declined in 2022-23 and 2023-24, but has thereafter increased in the POI.

49. It is noted that apart from the base year and POI, the demand for the subject goods was almost entirely being catered to by the domestic industry.

50. It is further noted that total demand excluding captive for the subject goods has increased by 26% over the injury period.

b) **Imports in Absolute and Relative Terms**

51. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied upon DG Systems data. The import volumes of the subject goods from the subject countries and share of the dumped imports during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Subject imports	MT	16	0	4	122
China	MT	4	0	1	100
Thailand	MT	12	0	3	22
Other imports	MT	Nil	Nil	Nil	Nil
Total imports	MT	16	0	4	122
Subject Imports in relation to					
Domestic production	%	***	***	***	***
Domestic production	Range	0-10	0-10	0-10	10-20
Demand (excluding captive)	%	***	***	***	***
Demand (excluding captive)	Range	0-10	0-10	0-10	30-40
Demand (including captive)	%	***	***	***	***
Demand (including captive)	Range	0-10	0-10	0-10	10-20
Total Imports	%	100	100	100	100

* Source: Import data as per DG Systems.

52. From the above, the Authority notes that:

- Imports of subject goods have shown sudden surge in the POI.
- While imports from subject countries accounted for only *** % and *** % of demand excluding captive in the FY 2021-22 and FY 2023-24, such imports account for nearly *** % of demand in the POI.
- It is further noted that while demand excluding captive has increased in the POI, the domestic industry's share in such demand has declined whereas share of subject country imports have significantly increased.
- The volume of imports relative to domestic production and demand excluding captive has significantly increased during the POI.

H.3.3 Price effect of the dumped imports

53. In terms of Annexure II (ii) of the AD Rules, 1995, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a) **Price undercutting**

54. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, price undercutting has been determined by comparing the landed price of the subject imports with the Net Sales Realisation of the domestic industry during the POI. Price undercutting so determined is provided below.

Price Undercutting				
Particulars	Unit	China PR	Thailand	Subject Countries
Landed Value	Rs/MT	***	***	***
Net Sales Realisation	Rs/MT	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***
Price Undercutting	Range	0-10	0-10	0-10

* Source: Landed value as per DG Systems and NSR based on 4A of domestic industry

55. It is noted that during the POI, the subject imports were undercutting the prices of the domestic industry. The domestic industry has submitted that they are compelled to sell at reduced prices in an effort to retain its market share. Despite this, the price undercutting remains positive.

b) Price suppression/depression

56. For the purpose of analysing price suppression and depression in the domestic market, the Authority has examined the existence of price suppression and depression after comparing the cost of sales and the domestic Net Sales Realisation of the domestic industry with the landed value of the subject imports. The same has been provided in the table below:

Price Suppression/ Price Depression					
Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	108	113	122
Landed Value	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	0	104	101
Net Sales Realisation	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	103	104	104

* Source: Landed value as per DG Systems and other data based on 4A of domestic industry.

57. From the above, the Authority notes that both the cost of sales and net sales realization of the domestic industry has increased during the injury period. However, the cost of sales has increased much more than the rise in the net sales realisation causing price suppression. Further, it is seen that the landed value declined in the POI as compared to 2023-24.

H.3.4 Economic parameters of the domestic industry

58. Annexure II to the AD Rules, 1995 provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

59. The Authority has considered the capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period.

Production, Capacity, Capacity Utilisation and Sales					
Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	62	64	113
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
Range	%	60-70	40-50	40-50	70-80
Domestic Sales excluding captive	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	51	32	91
Captive consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	68	97	151

* Source: Data as per 4A of domestic industry.

60. From the above, the Authority notes that:

- Production of the domestic industry has varied largely in accordance with the variation in demand for the subject goods. However, over the injury period, the production has increased.
- Despite an increase in demand and production, the domestic industry's sales excluding captive have declined during the injury period.
- Though the capacity utilization has increased during the injury period, it is noted that despite there being sufficient demand in the POI, *** % of Indian capacities remain unutilized.

b) Market share

61. Market share of the domestic industry and of imports was as shown in the table below:

Market Share					
Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Domestic industry	%	***	***	***	***
Domestic industry	Range	90-100	90-100	90-100	60-70
Subject imports	%	***	***	***	***
Subject imports	Range	0-10	0-10	0-10	30-40
Other Country Imports	%	***	***	***	***
Other Country Imports	Range	0-10	0-10	0-10	0-10

62. It is noted that the market share of the domestic industry after an improvement in FY 22-23 and FY 23-24 has declined significantly in the POI. This sudden decline in the market share of the domestic industry notably coincides with the increase in market share of dumped imports from the subject countries.

c) Inventories

63. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Inventory					
Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	98	87

* Source: Inventory as per 4A of domestic industry

64. It is noted that inventory of the domestic industry has declined over the injury period, however, inventories continue to remain significant in relation to total production and sales of the domestic industry.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

65. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

Profitability Parameters					
Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	108	113	122
Net Sales Realisation	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	103	104	104
PBT	₹/MT	***	***	***	(***)
Trend	Index	100	53	5	(94)
PBIT	₹/MT	***	***	***	(***)
Trend	Index	100	56	7	(88)
PBDIT	₹/MT	***	***	***	(***)
Trend	Index	100	60	16	(72)
Cash Profit	₹/MT	***	***	***	(***)
Trend	Index	100	57	14	(77)
ROCE	%	***	***	***	(***)
Range	%	60-70	10-20	0-10	(40) - (30)

* Source: Data based on 4A of domestic industry.

66. From the above, it is noted that:

- Cost of sales of the domestic industry has increased by 22 index points over the injury period in the POI compared to the base year, whereas during the same period, NSR has increased only by 4 index points.
- It is further noted that despite increase in cost of sales, the domestic industry has not been able increase its Net Sales Realisation commensurately. Consequently, the domestic industry's profits have declined, resulting into losses during the POI.
- Importantly, the domestic industry has earned significant cash losses during the POI and its ROCE has also become negative during this period.

e) Employment, productivity and wages

67. The position with regard to employment, wages and productivity of the domestic industry is as follows:

Labour and Productivity Parameters					
Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
No. of Employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Index	100	76	75	96
Wages	₹ Lakhs	***	***	***	***
Trend	Index	100	76	91	148
Productivity per day	MT/day	***	***	***	***
Trend	Index	100	62	65	113
Productivity per employee	MT/No.	***	***	***	***
Trend	Index	100	82	86	118

* Source: Data as per 4A of domestic industry.

68. It is noted that the number of employees has declined during the injury period. The wages, however, increased during injury period.

69. Productivity per day and Productivity per employee have also consistently increased throughout the injury period as a result of increase in the production of the domestic industry.

f) Growth

Particulars	UOM	2022-23	2023-24	POI
Production	%	(***)	***	***
Domestic Sales	%	(***)	(***)	***
Profit	%	(***)	(***)	(***)
ROCE	%	(***)	(***)	(***)
Cash Profit	%	(***)	(***)	(***)

70. From the above, it is noted that while production and domestic sales of the domestic industry have increased, the profitability and ROCE have significantly declined. Notably, cash profits of the domestic industry have declined significantly.

g) Impact on the ability to raise capital investment

71. The domestic industry has submitted that it has not been able to earn adequate return on profits and therefore, its ability to raise capital investments has been impaired significantly. The domestic industry has also asserted that on account of dumped imports, no new investment is being made as the domestic producers have not been able to earn return on the investments already made.

h) The magnitude of dumping

72. There is significant dumping of the subject goods from the subject countries.

73. In view of the foregoing, the Authority provisionally concludes that the domestic industry has suffered material injury.

H.3.5 Non-attribution analysis and causal link

74. The Authority examined whether other factors listed under the AD Rules, 1995, could have caused injury to the domestic industry. The Authority has examined known factors other than the dumped imports and ascertain whether such factors could have been a cause of injury to the domestic industry, so that the injury caused by other factors, if any, is not attributable to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume of subject goods not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices, changes in technology, the export performance of the domestic industry and the productivity of the domestic industry.

a) Volume and value of imports from third countries

75. Imports from subject countries constitute 100% of total Indian imports. There are no imports from third countries.

b) Contraction in demand

76. While demand had initially declined subsequent to base year, the demand of subject goods increased significantly in the POI. Overall, the demand for the subject goods increased during the injury period. Therefore, the domestic industry has not suffered injury due to a contraction in demand.

b) Pattern of consumption

77. It is noted that there has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

78. The Authority notes that there is no evidence of conditions of competition or trade restrictive practices that could have been responsible for the claimed injury to the domestic industry.

e) Developments in technology

79. The Authority notes that there has been no change in technology for the production of the subject goods that could have caused injury to the domestic industry.

f) Export performance of the domestic industry

80. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

g) Performance of other products

81. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic like product. Thus, the performance of the other products has not been taken into account while assessing injury to the domestic industry.

H.3.6 Factors establishing causal link

82. While other known factors listed under the AD Rules, 1995 have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that the following parameters provisionally show that injury to the domestic industry is caused by dumped imports.

- i. There is dumping of the subject goods from the subject countries.
- ii. Dumped imports from the subject countries have increased significantly in the POI in both absolute and relative terms.
- iii. The domestic industry's market share has declined in the POI, even though demand has increased indicating that subject imports from the subject countries have indeed captured the domestic industry's market share.
- iv. Dumped imports from subject countries have undercut the prices of the domestic industry, as well as suppressed and depressed the domestic industry's price.
- v. While production has increased in the POI with an increase in demand, domestic sales have not increased in tandem with such production.
- vi. The domestic industry has suffered losses, including cash losses during the POI and has earned negative return during the POI.

83. The Authority, in view of the aforementioned, provisionally concludes that there exists a causal link between the dumping of the subject goods and injury to the domestic industry.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

84. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the AD Rules, 1995 read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pretax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the Rules, 1995.

85. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as provisionally determined by the Authority is provided in the table below.

Injury Margin Table

Producer	Non injurious Price (\$/MT)	Landed Value (\$/MT)	Injury Margin (\$/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin
CHINA					
Wuhan Wuyao Pharmaceuticals Co., Limited	***	***	***	***	10-20
Others	***	***	***	***	10-20
THAILAND					
Others	***	***	***	***	15-25

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

J.1 Views of other interested parties

86. The following submissions have been made by the other interested parties:

- If anti-dumping duties are imposed downstream users and final consumers of the PUC will be costlier and ultimate users in India will suffer.
- Ministry concerned will oppose the levy of duty since it will have huge impact on large number of exporter/trader/importer & users.

J.2 Views of the domestic industry

87. The following submissions have been made by the domestic industry:

- The PUC is used in different combinations and prices for certain combinations are regulated by NPPA.
- The impact on all end products would be 2%, whereas the impact on de-controlled products i.e., prices for combinations for which price is not regulated by NPPA, would be around 1%.
- It may be noted that de-controlled products have a market share of almost 90%.
- The domestic industry has sufficient capacity to cater to the Indian demand for the subject goods.

J.3 Examination by the Authority

88. The Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject country in any way. Trade remedial investigations are intended to restore equal competitive opportunities in the domestic market by ensuring a level playing field for domestic producers by the imposition of appropriate duties against trade distorting imports. At the same time, the Authority is aware that the impact of such duties is not limited to only the domestic producers of the PUC but also affects the users and consumers of the PUC. Moreover, the

imposition of duties may introduce competition concerns domestically but can concurrently stimulate the emergence of new producers within the country.

89. The Authority notes that none of the Indian users have participated in the present investigation. It is further noted that apart from the domestic industry only Chinese traders i.e., Sinobright and Brilliant have submitted Economic Interest Questionnaire. Whereas, the domestic industry has provided detailed impact calculation of different formulations sold in market manufactured from the subject goods, Sinobright and Brilliant have merely made generic statements in their questionnaire.
90. Based on the information available on record, the Authority notes that certain formulation of ethambutol hydrochloride is subject to regulation by the National Pharmaceutical Pricing Authority. Further, domestic industry has claimed that the impact of anti-dumping duties on the end product would be around 0-2%. It is noted that no other interested party have submitted any calculations showing impact of price effect of the formulations of Ethambutol.
91. It is further noted that there is no demand-supply gap for the PUC in India. Even at the current level of sub-optimal capacity utilization, the domestic industry possesses the capacity to cater to entire Indian demand. In fact, the domestic industry has been catering to the entire Indian demand for the previous years.
92. It is also noted that the subject goods are critical and essential constituents of anti-tuberculosis medication. Accordingly, domestic supply sources are critical for strengthening medical supply chain and national public health infrastructure.

K. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

93. Based on the submissions made, information provided and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes the following:
 - a. The application seeking imposition of anti-dumping duties was filed by Lupin Limited. Lupin Limited accounts for major proportion of eligible domestic production in terms of Rule 2(b) of AD Rules, 1995 and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of AD Rules, 1995.
 - b. The product under consideration is *Ethambutol Hydrochloride*.
 - c. No comments have been filed by the participating producers from the subject countries concerning the scope of the PUC nor have such producers or any other interested suggested for adoption of PCN methodology.
 - d. As regard China PR, none of the exporters have claimed market economy treatment, therefore, in accordance with China's Accession Protocol and Para 7 of Annexure I to the AD Rules, 1995, the normal value has been determined basis price paid or payable in India,
 - e. As regards Thailand, no exporter has participated from Thailand, accordingly, normal value for such exporters has been determined based on cost of production, selling, general and administrative expenses and reasonable profits.
 - f. The export price for cooperative producers and exporters has been provisionally determined based on the information provided by them. The same is subject to verification.
 - g. Considering the normal value and export price determined, the dumping margin for the subject goods from the subject countries, is significant and above de minimis level.

- h. Imports of the subject goods from the subject countries have increased in absolute and relative terms in the POI compared to the injury period.
- i. The subject imports from subject countries are undercutting the prices of the domestic industry.
- j. The subject imports have depressed and suppressed the prices of the domestic industry and prevented price increases, which would have otherwise occurred.
- k. As regards the effect of such dumped imports on the economic parameters of the domestic industry, the following provisional conclusions are reached:
 - i. The market share of the imports from subject countries have increased while that of the domestic industry has declined. Despite sufficient capacity to cater to the entirety of Indian demand for the subject goods including the increase in demand, significant portion of domestic industry's capacity remained idle in the POI.
 - ii. The domestic industry has suffered losses, cash losses and earned negative returns in the POI.
- l. The domestic industry has suffered material injury due to dumping of subject goods from the subject countries.
- m. No other known factors have caused injury to the domestic industry and injury to the domestic industry is due to dumping of the subject imports into India.
- n. The imposition of anti-dumping duty is in the interest of public at large as it would provide restore fair market conditions and establish a level playing field in India. Further, the domestic industry has suffered financial losses, cash losses and recorded a negative return on capital employed. In such a case, the market conditions are not conducive for further investments.
- o. Importantly, the subject goods are used in manufacturing of anti-tuberculosis medication. Therefore, it is in public interest to have varied sources of supply, including domestic sources.

94. The Authority notes that the investigation was initiated and notified all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers, and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury, and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of provisional duties is required to offset dumping and injury, pending completion of the investigation. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.

95. Having regards to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject countries, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below, to be issued in this regard by the Central Government. The landed value of the imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under Customs Act. 1962 and applicable level of customs duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A. of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

S. N.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount (US\$/MT)
1	2	3	4	5	6	7
1	2905 1410, 2905 1490	“Ethambutol, ethambutol Hydrochloride ”	China PR	Any	Wuhan Wuyao Pharmaceutical Co. Limited	5,124
2	do	do	China PR	Any	Any producer other than S. No. 1	6,096
3	do	do	Any Country other than China PR and Kingdom of Thailand	China PR	Any	6,096
4	do	do	Kingdom of Thailand	Any	Any	6,513
5	do	do	Any Country other than China PR and Kingdom of Thailand	Kingdom of Thailand	Any	6,513

L. FURTHER PROCEDURE

96. The procedure as mentioned below would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

- a. The Authority invites comments on these provisional findings from all interested parties within 15 days from the publication of these findings, and the same, to the extent considered relevant by the Authority, would be considered in the final findings.
- b. The Authority would conduct an oral hearing in terms of Rule 6(6) of the AD Rules, 1995 to provide an opportunity to the interested parties to present their views relevant to the subject investigation.
- c. The date of the oral hearing will be published on the DGTR website. (www.dgtr.gov.in)
- d. The Authority would conduct further verification of the submissions of interested parties as deemed necessary.
- e. The Authority would disclose the essential facts as per the Anti-Dumping Rules before issuing final findings in the subject investigation.

AMITABH KUMAR, Designated Authority